



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256814  
CG-DL-E-31082024-256814

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2024/भाद्र 8, 1946

No. 227]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2024/BHADRA 8, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2024

सं. 20 / 2024-25

विषय : दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 05 / 2024 का आगे 15.09.2024 तक प्रास्थगन।

फा.सं. 01 / 94 / 180 / 104 / एएम 24 / पीसी-4.—जबकि दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 05 / 2024 को निर्यात मद में सोना / प्लेटिनम / चांदी सामग्री के संदर्भ में अनुमत योग्य छीजन और मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड को संशोधित करने के लिए जारी किया गया था। तथापि, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अभ्यावदेन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 05 / 2024 को दिनांक 28.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 06 / 2024 द्वारा 31.07.2024 तक प्रास्थगित किया गया था जिसे दिनांक 29.07.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 16 / 2024-25 द्वारा फिर 31.08.2024 तक प्रस्थागित किया गया था। इस बीच, इस कार्यालय को मानदंड समिति द्वारा अनुशंसित छीजन मानदंड के प्रस्तावित संशोधन प्राप्त हुए हैं और यह विचाराधीन है।

2. तदनुसार, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 05/2024 को आगे सितम्बर, 2024 की 15 तारीख तक की अवधि के लिए प्रास्थगित करते हैं। अंतरिम अवधि हेतु, उक्त सार्वजनिक सूचना सं. 05/2024 दिनांक 27.05.2024 के जारी होने से पूर्व यथा विद्यमान प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.59 के तहत छीजन मानदंड और सियोन एम1 से एम7 तक को बहाल किया गया है।

**सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:** दिनांक 27.05.2024 की सार्वजनिक सूचना सं. 05/2024 को मानदंड समिति द्वारा अनुशंसित छीजन मानदंड के प्रस्तावित संशोधन पर सुझावों/टिप्पणियों को आमंत्रित करने हेतु सितम्बर, 2024 की 15 तारीख तक प्रास्थगित रखा जाता है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 29th August, 2024

**No. 20/2024-25**

**Subject: Further abeyance of Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 until 15.09.2024.**

**F. No. 01/94/180/104/AM24/PC-4.**—Whereas Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 had been issued to modify the wastage permissible and Standard Input Output Norms with reference to Gold/Platinum/Silver content in export item. However, keeping in view the representation of the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 had been kept in abeyance till 31.07.2024 vide Public Notice No. 06/2024 dated 28.05.2024 which had been further kept in abeyance till 31.08.2024 vide Public Notice No. 16/2024-2025 dated 29.07.2024. This office has meanwhile received the proposed revision of wastage norms recommended by the Norms Committee and it is under consideration.

2. Accordingly, DGFT in exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy 2023 as amended from time to time hereby places the Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 in abeyance for a further period up to 15<sup>th</sup> of September, 2024. For the interim period, wastage norms under Para 4.59 of Handbook of Procedures 2023 and SIONs M1 to M7 as existed prior to issuance of the said Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 stand restored.

**Effect of the Public Notice:** Public Notice No. 05/2024 dated 27.05.2024 is kept in abeyance till 15<sup>th</sup> of September, 2024 for inviting suggestions/ comments on the proposed revision of wastage norms recommended by the Norms Committee.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.